

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 227/2025

उम्मेद पुत्र अमीलाल, जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज०)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज०)

—अपीलान्त

—रेस्पोंडेन्ट

प्रथम विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.06.2025 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं बमुमकिन नम्बर 65/2025 अन्तर्गत धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री मनोज कुमार शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.08.2025

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 27.06.2025 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलार्थी की ओर से अपील निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत है कि संक्षेप में मुकदमे के तथ्य इस प्रकार है कि भू-अभिलेख निरीक्षक बडागांव एवं पटवारी हल्का नाटास के रिपोर्ट पर भूमि खसरा नम्बर 163, 164 रकबा 1.78, 2.84 हैक्टेयर में से 1.3 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नदी पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करना बताया जिसका नोटिस जारी किया गया। नोटिस शामिल मिसल किया गया। फसल काश्त को राजहक में कुर्क कर निलामी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बडागांव को लिखा गया। न्यायालय द्वारा आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। कोई जबाब पेश नहीं किया। कोई बचाव में साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। तब मुकदमा नम्बर 90/2024 निर्णय दिनांक 07.03.2024 में अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। पुनः पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की अब की बार भूमि खसरा नम्बर 163, 164 रकबा 1.78, 2.84 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नदी पर फसल खरीफ संवत् 2080 में अतिक्रमण करना बताया। पुनः नोटिस दिया गया। 15 दिन में कब्जा हटाने में असफल रहने पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया तथा 25 रुपये पेनेल्टी दिए जाने का आदेश दिया उक्त आदेश का पता चलने पर दिनांक 03.07.2025 को नकल के लिए आवेदन पत्र दिया तथा उस दिन नकल मिलने पर वकील से सम्पर्क किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी पर कोई नोटिस तामिल नहीं हुए तथा मौके पर प्रतिवादी का अतिक्रमण नहीं है। मनमर्जी से कभी 1.30 हैक्टेयर लिख दिया फिर 0.50 हैक्टेयर लिख दिया। सरासर गलत रिपोर्टों के आधार पर राजनीतिक दबाव से तथा ग्रामीण रंजिशवंश झूठा मुकदमा बना दिया जिसका उद्देश्य एकमात्र अपीलार्थी को जेल भेजने का रहा जिससे व्यथित होकर अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। वजुआत अपील निम्न प्रकार है कि निर्णय नायब तहसीलदार, गुढागौडजी खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। मामले में प्राकृतिक निर्णय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। ऑडीपार्टमेंट के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। जबकि कानून यह कहता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए। मामले में पारित विवादित आदेश प्रथमदृष्टया ही चलने योग्य नहीं हैं क्योंकि विधि का सुनिश्चित सिद्धान्त है कि पक्षकार को सुनकर ही निर्णय किया जावे। लेकिन मामले में प्रार्थी को बिना सुने ही निर्णय कर दिया। मामले में पारित निर्णय चलने योग्य नहीं है। क्योंकि विवादित आदेश दिनांक 27.06.2025 बिना माईण्ड एप्लाइ किये बिना, पत्रावली का अवलोकन किये बिना, न्यायिक विवेक को इस्तेमाल किये बिना ही अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि आदेश मात्र साईक्लोस्टाईल टाईप्ड है। आदेश कोपी पेस्ट किया गया है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति Fill in the blanks आदेश नजर आ रहा है जो एक लिपिकीय कार्य है जिस पर केवल मात्र अदालत मातहत द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। ऐसी सूरत में रेस एण्ड नेगलिजेंटली पारित किया गया आदेश पारित करने योग्य नहीं है। पत्रावली पर अपीलार्थी की तामिल होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। मनमर्जी से एकतरफा आदेश यह देखकर कि बरसात का समय है। काटली नदी आयेगी तो कोई अतिक्रमण है या नहीं है। क्योंकि नदी का कोई मापदण्ड नहीं है तथा वर्षों से काटली नदी में कोई पानी नहीं आया। यहां तक कि लोगो ने

जिला कलक्टर झुंझुनूं

मकानात् बना रखे है। काटली रिजार्ट जैसे होटल इत्यादि बनाये हैं। लेकिन अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है। फसल के दिनों में अपीलार्थी का लगता हुआ खेत में और एक दो हल नदी की ओर चला भी दिये गये हैं तो वह किसी प्रकार का अतिक्रमण की तरीफ में नहीं आता है जिसके लिए तीन माह का समय दिया जा सकता है। सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित करने से पहले तथा वारन्ट गिरफ्तार जारी करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो एक शारीरिक स्वतंत्रता का सिद्धान्त है उसे ध्यान में रखते हुए वास्तव में नायब तहसील गुढागौडजी को देखना चाहती थी। अपीलार्थी पर तामिल हुआ है कि या नहीं या उसे किसी प्रकार भी सुना जाए। क्योंकि यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में पूरा सुनवाई का मौका देने के लिए निर्णय नायब तहसरीदार गुढागौडजी काबिले अपास्त है। आदेश अदालत मातहत इल्लिगल परवर्स केप्रिसियस आर्बीट्रेरी एवं विदाउट ज्यूरिक्डीक्शन होने से काबिले अपास्त है। अतः अपील अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार, गुढागौडजी दिनांक 27.06.2025 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे तथा न्यायालय उचित समझे तो पुनः सुनवाई हेतु तथा पुनः विधिवत् प्रार्थी की मौजूदगी में रिपोर्ट मंगवाई जाकर मामला रिमाण्ड किया जावे।


बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि मामले में प्राकृतिक निर्णय के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। ऑडीपार्टमेंट के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। जबकि कानून यह कहता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए। मामले में पारित विवादित आदेश प्रथमदृष्टया ही चलने योग्य नहीं है क्योंकि विधि का सुनिश्चित सिद्धान्त है कि पक्षकार को सुनकर ही निर्णय किया जावे। लेकिन मामले में प्रार्थी को बिना सुने ही निर्णय कर दिया। मामले में पारित निर्णय चलने योग्य नहीं है। क्योंकि विवादित आदेश दिनांक 27.06.2025 बिना माईण्ड एप्लाइ किये बिना, पत्रावली का अवलोकन किये बिना, न्यायिक विवेक को इस्तेमाल किये बिना ही अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि आदेश मात्र साईक्लोस्टाईल टाईप्ड है। आदेश कोपी पेस्ट किया गया है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति **Fill in the blanks** आदेश नजर आ रहा है जो एक लिपिकीय कार्य है जिस पर केवल मात्र अदालत मातहत द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। ऐसी सूरत में रेस एण्ड नेगलिजेटली पारित किया गया आदेश पारित करने योग्य नहीं है। पत्रावली पर अपीलार्थी की तामिल होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। मनमर्जी से एकतरफा आदेश यह देखकर कि बरसात का समय है। काटली नदी आयेगी तो कोई अतिक्रमण है या नहीं है। क्योंकि नदी का कोई मापदण्ड नहीं है तथा वर्षों से काटली नदी में कोई पानी नहीं आया। यहां तक कि लोगो ने मकानात् बना रखे हैं। काटली रिजार्ट जैसे होटल इत्यादि बनाये हैं। लेकिन अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है। फसल के दिनों में अपीलार्थी का लगता हुआ खेत में और एक दो हल नदी की ओर चला भी दिये गये हैं तो वह किसी प्रकार का अतिक्रमण की तरीफ में नहीं आता है जिसके लिए तीन माह का समय दिया जा सकता है। सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित करने से पहले तथा वारन्ट गिरफ्तार जारी करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो एक शारीरिक स्वतंत्रता का सिद्धान्त है उसे ध्यान में रखते हुए वास्तव में नायब तहसील गुढागौडजी को देखना चाहती थी। अपीलार्थी पर तामिल हुआ है कि या नहीं या उसे किसी प्रकार भी सुना जाए। क्योंकि यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में पूरा सुनवाई का मौका देने के लिए निर्णय नायब तहसरीदार गुढागौडजी काबिले अपास्त है। आदेश अदालत मातहत इल्लिगल परवर्स केप्रिसियस आर्बीट्रेरी एवं विदाउट ज्यूरिक्डीक्शन होने से काबिले अपास्त है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार, गुढागौडजी दिनांक 27.06.2025 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे तथा न्यायालय उचित समझे तो पुनः सुनवाई हेतु तथा पुनः विधिवत् प्रार्थी की मौजूदगी में रिपोर्ट मंगवाई जाकर मामला रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने ग्राम नाटास स्थित भूमि ख0न0 163 व ख0न0 164 किस्म गैर मुमकिन नदी में अतिक्रमण किया है। अपीलान्त को नोटिस जारी किये गये हैं। अपीलान्त बावजूद नोटिस तामिल अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त को पूर्व में अतिक्रमी घोषित कर बेदखल कर दिया गया था। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का के बयान हुए हैं। अपीलान्त ने गैर मुमकिन नदी भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्त का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम नाटास स्थित भूमि खण्ड 163, 164 रकबा 1.78, 2.84 है० किस्म गैर मुमकीन नदी मे से 1.30 है० भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने कथन कि उनके द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा रखा है तथा भविष्य में वे अतिक्रमण नहीं करेगें। इसी प्रकार के प्रकरण के संबंधित अन्य प्रकरण में नजीर प्रस्तुत हुई है जिसके अनुसार "भू राजस्व अधिनियम, 1956-धारा 91-चारागाह भूमि पर अतिक्रमण-बेदखली, कारावास व शास्ति का आदेश-प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया और कारावास को अपास्त करने की प्रार्थना की-प्रार्थी ने अण्डरटेकिंग दी कि भविष्य में वह अतिक्रमण नहीं करेगा-निर्णित, मामले के तथ्यों को देखते हुये सिविल कारावास का आदेश सशर्त अपास्त किया।" प्रकरण पर चर्चा होती है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 27.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत मौके की पुनः जांच करे कि अपीलान्ट द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है या नहीं यदि मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिम्मा कलकत्ता, बुध्बुधुनुं